

कार्यालय: न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय मुंगेली (छ0ग0)

:-सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन:-

क्रमांक-13/चयन समिति/2023

मुंगेली, दिनांक- 10/07/2023

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि : 11/07/2023 प्रातः 11.00 बजे से

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 31/07/2023 शाम 5.00 बजे तक

आवेदन पत्र कुटुम्ब न्यायालय मुंगेली में निर्धारित ड्रॉप बाक्स में ही स्वीकार किये जाएंगे

कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय मुंगेली के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से किये जाने अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

रिक्त पदों का विवरण:-

क.	रिक्त पद का नाम	कुल रिक्त पद	आरक्षित पद											अनारक्षित पद				
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग			सामान्य				
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक
01	वाहन चालक	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
02	भृत्य/फर्राश	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
03	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर, माली)	4	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
योग:-		8	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0

महत्वपूर्ण टीप:-

1. पद की संख्या में किसी भी समय कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
2. परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय के पास सुरक्षित रहेगा।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित है। अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के प्राप्त आवेदन अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किए जाएंगे।

4. पदों के संबंध में विज्ञापन/भर्ती तथा नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन S.L.P. (C) No. 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को किमीलेयर नहीं होना चाहिए।

—:भर्ती की पात्रता एवं शर्तें:—

(01) वाहन चालक पद के लिए—

1. वेतनमान :-

{छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 (19500-62000)}

2. शैक्षणिक योग्यता:-

- {अ} किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/स्कूल से पूर्व माध्यमिक शाला (कक्षा आठवी) उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। (आठवी से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा)
- {ब} सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जीवित एल.एम.व्ही. ड्राईविंग लायसेंस चिप लगा हुआ {हल्का मोटरयान का वैध अनुज्ञप्तिधारी (लायसेंस)} तथा वाहन चलाने का अनुभव होना अनिवार्य है।

(02) भृत्य/फर्राश पद के लिए —

1. वेतनमान:-

{छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स के लेवल-1(15600-49400)}

2. शैक्षणिक योग्यता:-

- {अ} किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/स्कूल से प्राथमिक शाला (कक्षा पाँचवी) उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। (आठवी कक्षा से उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थियों को पात्रता नहीं होगी)
- {ब} आवेदित पद से संबंधित कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करे।

(03) आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर पर) वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर, माली) पद के लिए —

1. वेतनमान:- कलेक्टर मुंगेली द्वारा निर्धारित दर पर।

2. शैक्षणिक योग्यता:-

- {अ} किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/स्कूल से प्राथमिक शाला (कक्षा पाँचवी) उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। (आठवी कक्षा से उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थियों को पात्रता नहीं होगी)
- {ब} आवेदित पद से संबंधित कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करे।

महत्वपूर्ण टीप:-

- (i) शासकीय/अर्धशासकीय संस्थानों द्वारा जारी वाटरमेन, चौकीदार, माली, स्वीपर के कार्य का अनुभव हो और इसके अतिरिक्त ड्राईवर, कुक, इलेक्ट्रिशियन, बढई, प्लम्बर, हाउस कीपिंग, राज मिस्त्री, धोबी, गार्ड के काम का अनुभव हो, तो प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करे।
(निजी व्यक्ति/निजी संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जावेगा)
- (ii) सभी अभ्यर्थी, आवेदन पत्र के साथ अधिकतम शैक्षणिक योग्यता केवल 8वी कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंध में दिये गये निर्धारित प्रारूप में अपना "शपथ पत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र के साथ संलग्न है)
- (iii) सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 5/-रुपये या उससे अधिक के स्टाम्प पर जो भी सुविधानुसार उपलब्ध हो, नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (iv) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को उपरोक्त शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में सादे कागज में नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (v) आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता से संबंधित निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा और किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।
- (vi) सभी अभ्यर्थी आवेदन करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनकी योग्यता कक्षा 8वी से अधिक नहीं है और यदि जांच में यह पाया जाता है कि उसने झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो उसकी पात्रता बिना सूचना दिये समाप्त की जा सकेगी और झूठा शपथ पत्र पेश करने का आपराधिक प्रकरण संस्थित किया जा सकेगा।
- (vii) प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता की स्पष्ट और सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदक द्वारा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पायी जाती है, जो तो चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त/समाप्त की जा सकेगी, साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी। अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात् उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर अभ्यर्थी के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे बिना जांच के सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तः—

- (1) रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। (कार्यरत शासकीय सेवको को छूट होगी)
- (2) [अ]. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
[ब]. कोई भी उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पति/पत्नी जीवित हैं, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
- (3) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्होंने दिनांक 01 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर किमीलेयर) महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयुसीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वह छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (4) आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिये कक्षा पांचवी/आठवी के प्रमाण पत्र, जिनमें जन्म तिथि का उल्लेख हो, मान्य होंगे। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(5) उच्चतम आयु सीमा में छूटः—

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगीः—

4 (एक) (1) — यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जावेगी।

4 (एक) (2) — यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ – 7-25-93/1 आ.प्र दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जावेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को कीमीलेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए।

4 (एक) (3) — छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कंटीन्जेसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी, यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य रहेगी।

4 (एक) (4) — ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालवधि

भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, परंतु उसके परिणाम स्वरूप अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण:- छटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है, जो राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराये या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया है।

4 (एक) (5) – ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किन्तु उसके परिणाम स्वरूप जो योग निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4 (एक) (6) – महिलाओं के आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष से शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

4 (एक) (7) – सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जावेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि 1 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

4 (एक) (8) – स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वॉलंटरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमीशनड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार कर सेवा की उतनी कालवधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जावेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4 (एक) (9) – विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी।

4 (दो) (1) – आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागीय को सामान्य प्रशासन विभाग के क्रमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

4 (दो) (2) – विक्रम पुरस्कार सहित राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडूधर सम्मान, महाराज प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-19-2/2005/1-3 दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

4 (दो) (3) – उत्कर्ष खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-10/2004/1-9 दिनांक 06 जुलाई 2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप (1) बिंदू क्रमांक 4 (एक) में अधिकतम लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिंदू क्रमांक 4 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्य/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दू क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण:- यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो, तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी, विक्रम पुरस्कार के आधार पर 5 वर्ष की छूट और दी जावेगी, अंतरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जावेगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयोग की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा, अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जावेगी।

- (6) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी, कि वह आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले, और अर्हताओं की सामान्य शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, अभ्यर्थी को अर्हत मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्हत पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी/चयन समाप्त की जाएगी। नियुक्ति पश्चात् जांच में किसी भी समय अनर्हत पाए जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।
- (7) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचार किए जाएंगे, आरक्षित वर्ग के विरुद्ध नहीं।
- (8) आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में

शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा।

- (9) महिलाओं को नियमानुसार होरिजेंटल आरक्षण दिया जावेगा। लेकिन किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
- (10) यदि अभ्यर्थी कोई अन्य छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।
- (11) चतुर्थ श्रेणी के पद पर चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर के वित्त निर्देश क्रमांक 372/260/वि/नि/चार/2020, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29/07/2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना के आधार पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति **तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि** पर की जावेगी एवं उक्त परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को निम्नानुसार स्टाईपेंड देय होगा:—

प्रथम वर्ष — पद के वेतनमान न्यूनतम का 70 प्रतिशत

द्वितीय वर्ष — पद के वेतनमान न्यूनतम का 80 प्रतिशत

तृतीय वर्ष — पद के वेतनमान न्यूनतम का 90 प्रतिशत

किन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टाईपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह ही प्राप्त होते रहेंगे। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। इसके पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया है, तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी।

- (12) कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित है, वह शासन के नियमानुसार नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- (13) कोई भी अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- (14) आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।
- (15) दिव्यांग/निःशक्तजन अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड (सक्षम अधिकारी) का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:-

- (1) आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक **31.07.2023** दिन सोमवार की शाम **5:00 बजे तक** बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद के नाम **“वाहन चालक”**, अथवा **“मृत्यु/फर्राश”** अथवा **“आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी”** लिखा हो। उक्त आवेदन कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुंगेली {छ0ग0} को संबोधित होना चाहिए। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय मुंगेली (छ0ग0) में रखे गए **“ड्राप बाक्स”** में डालकर प्रस्तुत करेंगे। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा ड्राप बाक्स से भिन्न प्रकार जैसे:- स्पीड पोस्ट, डाक, रजिस्टर्ड डाक, ई-मेल, कोरियर, फ़ैक्स आदि के माध्यम से प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार भी स्वीकार्य नहीं होगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण-पत्र स्वयं अभिप्रमाणित (**Self Attested**) प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायालय, मुंगेली की वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/mungeli> से डाउनलोड की जा सकती है। निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जावेंगे।
- (2) आवेदक यदि एक से अधिक पदों के लिये आवेदन प्रस्तुत करना चाहता हो, तो उन्हें प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (3) आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर, माली) के लिए एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा, जिसे आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद के रूप में परिभाषित किया गया है।
- (4) आवेदक, आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर ले। आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद पृथक से कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जायेगा। साथ ही इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
- (5) ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता /विभाग प्रमुख के उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। यदि अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हुआ, तो उनका चयन नहीं किया जा सकेगा।
- (6) प्रत्येक अभ्यर्थी को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे, यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की

होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन की किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

- (7) विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- (8) अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करना अनिवार्य होगा।
- (9) बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

—:नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया:—

(1) वाहन चालक पद के लिए:—

वाहन चालक के पद पर चयन हेतु कौशल परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता, एवं कार्य कुशलता इत्यादि बिन्दुओं पर परखा जाएगा।

1. वाहन चालक पद के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, प्रतीक्षा सूची अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।
2. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरियता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जन्मतिथि एवं प्राप्तांक के समान होने की दशा में वाहन चालक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर जिसका अंक ज्यादा होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

(2) भृत्य/फर्राश पद के लिए:—

भृत्य/फर्राश के पद पर चयन हेतु कौशल परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता, एवं कार्य कुशलता इत्यादि बिन्दुओं पर परखा जाएगा।

1. कौशल परीक्षा/साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर ही उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, प्रतीक्षा सूची अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।
2. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरियता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जन्मतिथि एवं प्राप्तांक के समान होने की दशा में भृत्य/फर्राश पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर जिसका अंक ज्यादा होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

(3) आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर पर) वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर, माली) पद के लिए:-

आकस्मिकता निधि के उक्त पद पर चयन हेतु कौशल परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता, एवं कार्य कुशलता इत्यादि बिन्दुओं पर परखा जाएगा।

1. कौशल परीक्षा/साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर ही उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, प्रतीक्षा सूची अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।
2. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरियता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जन्मतिथि एवं प्राप्तांक के समान होने की दशा में आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर पर) वेतन पाने वाले कर्मचारी पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर जिसका अंक ज्यादा होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
3. चयनित अभ्यर्थी को कलेक्टर मुंगेली द्वारा समय-समय पर निर्धारित दैनिक वेतन पर नियुक्त किया जाएगा एवं उनकी नियुक्ति बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त कर दी जावेगी।

:-महत्वपूर्ण निर्देश:-

- (1) आवेदको की कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय मुंगेली के वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रकाशित किया जाएगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो, तो प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर स्वतः आकर लिखित आपत्ति, चयन समिति के समक्ष पेश करेंगे। अन्तिम सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात् जिला न्यायालय मुंगेली के वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/mungeli> तथा सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी।
- (2) यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना विलम्ब से प्राप्त होती है, तो उसके लिए कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहे और उक्त वेबसाईट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।
- (3) यह विज्ञापन बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा।
- (4) जो अभ्यर्थी कौशल परीक्षा/चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।
- (5) कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा, उन्हें किसी प्रकार का यात्रा

- व्यय देय नहीं होगा।
- (6) अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा (जो भी लागू हो) में शामिल करने हेतु आवेदनों की शार्ट लिस्टिंग की जावेगी, जिसका मापदण्ड नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति तय करेगी।
 - (7) अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
 - (8) **कौशल परीक्षा/साक्षात्कार का प्रवेश पत्र, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान** की जानकारी जिला न्यायालय मुंगेली के वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/mungeli> पर अपलोड की जावेगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा, विलंब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा।
 - (9) परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन या अन्य संचार यंत्र वर्जित रहेंगे।
 - (10) सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर का पत्र क्रमांक 1269/23/मु.म.नि./2014/1-7 दिनांक 23/08/2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।
 - (11) चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल प्रति के अभाव में उनका चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
 - (12) चयनित उम्मीदवार को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय मुंगेली के चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्य (**Fitness**) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवार के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन सचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर से कराए जाने पर विपरीत प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा। कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस वेरीफिकेशन भी कराया जावेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
 - (13) कौशल परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 6 माह के पश्चात् विनिश्चितकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होंगे।
 - (14) कौशल परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है।

- (15) अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से चयन समिति द्वारा पृथक से अन्य निर्णय भी लिया जा सकेगा, जो मान्य होगा।
- (16) चुने गए अभ्यर्थी की नियुक्ति कुटुम्ब न्यायालय मुंगेली के अंतर्गत किसी भी अनुभाग/न्यायालय में की जा सकेगी।

चयन प्रक्रिया के संबंध में न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुंगेली का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

सही/—
अध्यक्ष
चयन समिति
कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय
मुंगेली (छ.ग.)

20. **कार्यानुभव विवरण** (प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति यदि कोई हो, तो संलग्न करें)

क.	पद का नाम	संस्था का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	पदस्थ अवधि

21. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हॉ/नहीं?
(यदि हॉ तो सक्षम प्राधिकारी का अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)

22. यदि आवेदक का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित हो या उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो, तो उसका विवरण (दस्तावेज संलग्न करें) -

23. आवेदक का मोबाईल नंबर

24. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-

- 01.....02.....
 03.....04.....
 05.....06.....
 07.....08.....

टीप:- स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेज मान्य किये जाएंगे।
 बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये विवरण तथा संलग्न अभिलेख मे मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि झूठे पाये जाते हैं तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी।

स्थान-

आवेदक का हस्ताक्षर.....

दिनांक-

नाम.....

पता.....

.....

शपथ पत्र का प्रारूप

—:शपथ पत्र:—

मैं (शपथकर्ता का नाम).....पिता/पति
.....जन्मतिथिवर्ग.....
निवासी.....जिलाका हूं। कुटुम्ब न्यायालय
मुंगेली की स्थापना द्वारा जारी किये गये विज्ञापन क्रमांक/2023 में वाहन
चालक/भृत्य/फर्राश/आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पदों पर भर्ती हेतु प्रस्तुत
आवेदन पत्र के संबंध में निम्नानुसार शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं:—

1. यह कि मेरी शैक्षणिक योग्यता केवल.....कक्षा उत्तीर्ण है। आठवीं से अधिक(उच्च योग्यता) मेरी शैक्षणिक योग्यता नहीं है। (यदि लागू न हो तो काट दिया जावे)
2. मेरी आठवीं की अंकसूची में मेरा प्राप्तांक.....अथवा प्रतिशत/ग्रेड
.....अथवा सी.जी.पी.ए.....है। (यदि लागू न हो तो काट दिया जावे)
3. यह कि मैंने (वाहन चालक, भृत्य/फर्राश, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी)
.....के पद पर भर्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में
शैक्षणिक/तकनीकी/व्यवसायिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत
किया हूं एवं उसके द्वारा कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई है।
4. यह कि उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति किसी
भी समय समाप्त/निरस्त की जा सकेगी एवं मेरे विरुद्ध आपराधिक/दंडात्मक कार्यवाही की
जा सकेगी, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
- 5.

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:—

सत्यापन

मैं एतद् द्वारा यह शपथ करता/करती हूं कि उपरोक्त बिन्दू क्रमांक 01 से 04 तक में
दी गई समस्त जानकारी मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार पूर्ण सत्य एवं सही है।

स्थान:—

दिनांक:—

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:—

नोट:— शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करें। शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन शैक्षणिक संस्थानों
से कराया जाएगा। यदि शपथ-पत्र में उल्लेखित तथ्य सत्यापन उपरांत या अन्य किसी स्तर पर असत्य
पाये जाते हैं, तब असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कठोर
आपराधिक/दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।